mygov
मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0

## इन गतिविधियों को अनुमति

- योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति

- नाइट कर्फ्यू हटाया गया: रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है

- स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को अनुमति दी गई

- सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और अन्य सावधानियों का पालन करना होगा

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

my GOV
मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0

## इन गतिविधियों को अनुमति नहीं

- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान
- गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति को छोड़कर यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
- सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जनसमूह वाले कार्यक्रम

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

# अनलॉक 3.0

# कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा लॉकडाउन (1/2)

कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 31 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा

जिले के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट ज़ोन का सीमांकन किया जाएगा

कंटेनमेंट ज़ोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

mygov
मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0
## कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा लॉकडाउन (2/2)

- चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखते हुए इन क्षेत्रों में या इनके बाहर लोगों की कोई आवाजाही नहीं होगी

- गहन संपर्क ट्रेसिंग, घर-घर निगरानी और जरूरत पड़ने पर अन्य नैदानिक उपाय किए जाएंगें

- राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान की जाएगी, जहां नए मामले आने की ज्यादा आशंका हो

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

mygov
मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0

## कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर की गतिविधियों पर राज्य करेंगे फैसला

राज्य और संघ शासित क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर चुनिंदा गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर ऐसी बंदिशें लगा सकते हैं

अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों व सामान की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी

इसके लिए अलग अनुमति/ स्वीकृति/ ई- अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

# अनलॉक 3.0

# कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, पहले से बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है

आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर

दिनांक: 30 जुलाई, 2020

मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0
# आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग

आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित जोखिम की जल्द पहचान में सक्षम बनाता है और यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है

कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा हेतु नियोक्ता को सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु इन्स्टॉल किया जाए

जिला अधिकारी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु इन्स्टॉल करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दे सकते हैं

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0
# दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा

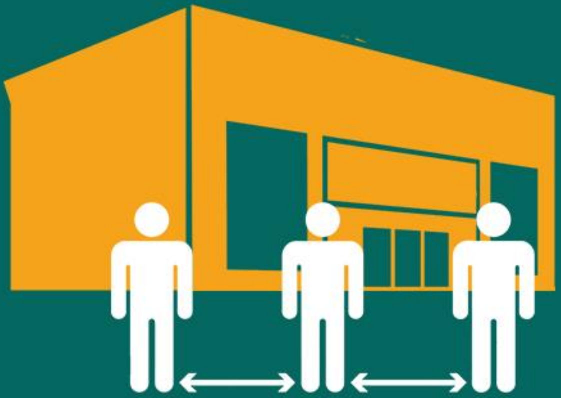

- राज्य / संघ शासित क्षेत्र किसी भी प्रकार से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को कमजोर नहीं करेंगे

- सभी जिला मजिस्ट्रेट अनलॉक 3.0 के उपायों को सख्ती से लागू करेंगे

- अनलॉक 3.0 के नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई का पात्र होगा

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0

# कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (1/2)

सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है

सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को न्यूनतम 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाए रखनी चाहिए

- दुकानों में ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी

बड़ी सार्वजनिक सभाओं/समारोहों पर पाबंदियां अभी जारी रहेंगी

- विवाह संबंधी समारोहों: मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं
- दाह संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधित समारोह: लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0

# कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2/2)

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा

सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020

my GOV
मेरी सरकार

# अनलॉक 3.0

## कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

- जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम (WfH) का विकल्प अपनाया जाना चाहिए
- कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कामकाज / व्यवसाय के लिए दो शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा जाएगा
- सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश या सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी
- सभी निकास द्वारों पर और कॉमन एरिया में हैंड वाश या सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी
- संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं वाली वस्तुओं और अक्सर इस्तेमाल में आने वाली चीजों जैसे कि दरवाज़े के हैंडल आदि को बार-बार सैनिटाइज किया जाना चाहिए
- कार्यस्थलों के सभी प्रभारी अपने यहाँ कामगारों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, लंच ब्रेक के लिए अलग-अलग समय आदि सुनिश्चित करेंगे

**दिनांक:** 30 जुलाई, 2020